

# THE JHARKHAND GAZETTE

# EXTRAORDINARY PUBLISHED BY AUTHORITY

No. 627

8 Aashadh, 1940(S)

Ranchi, Friday, 29th June, 2018

#### COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT

Notification 28<sup>th</sup> June, 2018

#### Notification No. 28/2018 - State Tax

**S.O. No. 45 Dated 29<sup>th</sup> June, 2018**— In exercise of the powers conferred by section 164 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the State Government hereby makes the following rules further to amend the Jharkhand Goods and Services Tax Rules, 2017, namely:-

- (1) These rules may be called the Jharkhand Goods and Services Tax (Sixth Amendment) Rules, 2018.
- (2) Save as otherwise provided, this notification shall be deemed to be effective from 19<sup>th</sup> June, 2018.
- 2. In the Jharkhand Goods and Services Tax Rules, 2017, -
  - (i) in rule 58, after sub-rule (1), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

"(1A) For the purposes of Chapter XVI of these rules, a transporter who is registered in more than one State or Union Territory having the same Permanent Account Number, he may apply for a unique common enrolment number by submitting the details in **FORM GST ENR-02** using any one of his Goods and Services Tax Identification Numbers, and upon validation of the details furnished, a unique common enrolment number shall be generated and communicated to the said transporter:

Provided that where the said transporter has obtained a unique common enrolment number, he shall not be eligible to use any of the Goods and Services Tax Identification Numbers for the purposes of the said Chapter XVI.";

(ii) in rule 138C, after sub-rule (1), the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided that where the circumstances so warrant, the Commissioner, or any other officer authorised by him, may, on sufficient cause being shown, extend the time for recording of the final report in Part B of **FORM EWB-03**, for a further period not exceeding three days.

*Explanation*.- The period of twenty four hours or, as the case may be, three days shall be counted from the midnight of the date on which the vehicle was intercepted.";

- (iii) in rule 142, in sub-rule (5), after the words and figures "of section 76", the words and figures "or section 129 or section 130" shall be inserted;
- (iv) after **FORM GST ENR-01**, the following FORM shall be inserted, namely:-

#### "FORM GST ENR-02

[See Rule 58(1A)]

#### Application for obtaining unique common enrolment number

[Only for transporters registered in more than one State or Union Territory having the same PAN]

	(a) Legal name			
-	(b) PAN			
Deta	ailsof registrations h	naving the same PAN		
Sl. No	GSTIN	Trade Name State/UT		
	Verification			
co		irm and declare that the information given hereing has been on the state of the sta		
Place:		Name of Authorised Signatory		
Date:		Designation/Status		
<u>Fo</u>	or office use –			
Enrolment no		Date"		
		[File.NoVaKar / GST / 04/ 2018]		
		By the order of the Governor	of Jharkhand,	
		K. K. Khandelwa	,	
		Additional Chief Secretary-cum	Commissioner.	

Note:- The principal rules were published in the Gazette of Jharkhand, Extraordinary, *vide* notification No. S.O- 28 State Tax, dated the 20<sup>th</sup> June, 2017, and last amended vide notification No. 26/2017-State Tax, dated the 28<sup>th</sup> June, 2018 published *vide* S.O 43, dated the 28<sup>th</sup> June, 2018.

-----

## वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

28 जून, 2018

# अधिसूचना सं॰. 28/2018- राज्य कर

एस. ओ- 45 दिनांक 29 जून, 2018-- झारखण्ड सरकार, झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, झारखण्ड माल और सेवा कर नियमावली, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम झारखण्ड माल और सेवा कर (छठा संशोधन) नियमावली, 2018 है।
- (2) इन नियमों में जैसा अन्यथा उपबंधित है, उसके सिवाय, यह अधिसूचना 19 जून, 2018 से प्रवृत्त होगी।
- 2. झारखण्ड माल और सेवा कर नियमावली, 2017 में,--
- (i) नियम 58 के उपनियम (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपनियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"(1क) इन नियमों के अध्याय 16 के प्रयोजनों के लिए, एक ही स्थायी खाता संख्या वाला कोई ऐसा परिवाहक, जो एक से अधिक राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में रजिस्ट्रीकृत है, अपनी किसी एक माल और सेवा कर पहचान संख्यांक का उपयोग करके प्ररूप जीएसटी ईएनआर-02 में ब्यौरे देते हुए विशिष्ट सामान्य नामांकन संख्यांक के लिए आवेदन कर सकेगा और दिए गए ब्यौरों का विधिमान्यकरण होने पर, विशिष्ट सामान्य नामांकन संख्यांक बनाया जाएगा और उसे उक्त परिवाहक को संसूचित किया जाएगा:

परंतु जहां उक्त परिवाहक ने विशिष्ट सामान्य नामांकन संख्यांक प्राप्त कर लिया है, वहां वह उक्त अध्याय 16 के प्रयोजनों के लिए किसी भी माल और सेवा कर पहचान संख्यांक के उपयोग का हकदार नहीं होगा ।";

(ii) नियम 138ग के उपनियम (1) के पश्चात्, निम्नितिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-- "परंतु जहां परिस्थितियां ऐसा अपेक्षित करें, वहां आयुक्त, या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी, दर्शित किए गए पर्याप्त कारणों के आधार पर, प्ररूप ईडब्ल्यूबी-03 के भाग ख में अंतिम रिपोर्ट अभिलिखित करने के समय को, तीन दिन से अनिधिक की अतिरिक्त अविध के लिए बढ़ा सकेगा।

स्पष्टीकरण-यथास्थिति, चौबीस घंटे या तीन दिन की अवधि की संगणना उस तारीख की मध्यरात्रि से की जाएगी, जिसको यान बीच में रोका गया था ।";

- (iii) नियम 142 के उपनियम (5) में, "धारा 76 की उपधारा (3)" शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के पश्चात्, "या धारा 129 या धारा 130" शब्द और अंक अंत:स्थापित किए जाएंगे ;
- (iv) प्ररूप जीएसटी ईएनआर-01 के पश्चात्, निम्नलिखित प्ररूप अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

### "प्ररूप जीएसटी ईएनआर-02

[नियम 58(1क) देखिए]

विशिष्ट सामान्य नामांकन संख्यांक अभिप्राप्त करने के लिए आवेदन
[एक ही स्थायी खाता संख्या वाले केवल ऐसे परिवाहक के लिए, जो एक से अधिक
राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में रजिस्ट्रीकृत है]

1.	(क) विधिक नाम	
	(ख) स्थायी खाता संख्या	

2. एक ही स्थायी खाता संख्या वाले के रजिस्ट्रीकरण के ब्यौरे

क्रम	माल और सेवा कर पहचान	व्यापार का नाम	राज्य/संघ
सं०	संख्यांक		राज्यक्षेत्र

#### सत्यापन

में सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं और घोषित करता हूं कि इसमें ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास में सत्य और सही है और उसमें से कोई बात छिपाई नहीं गई है।

	हस्ताक्षर
स्थान :	प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम
तारीख	पद/प्रास्थिति
कार्यालय उपयोग के लिए-	
नामांकन संख्या	तारीख।'

[सं.सं .वा॰कर/जी॰एस॰टी॰/04/2018] झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

के॰ के॰ खण्डेलवाल, अपर म्ख्य सचिव-सह-आय्क्त।

टिप्पण:- मूल नियम झारखण्ड के राजपत्र, असाधारण, में, एस. ओ - 28, तारीख 20 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनमें अंतिम बार संशोधन एस. ओ - 43, तारीख 28 जून, 2018 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना संख्यांक 26/2018-राज्य कर, तारीख 28 जून, 2018 द्वारा किया गया था।

\_\_\_\_\_